

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : वि.प्रा.(III) ब<sup>3</sup>-12/2016-

102 (2011) / पटना, दिनांक : 16-3-2018

प्रेषक,

अतुल सिन्हा  
निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,

एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/वी.सी.ई. भागलपुर/मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा/लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा/बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना)/राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, वेगुसराय / कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार/ पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया/सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा/सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112-इंजिनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43-2203001120001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटनादेश संख्या-2(आ), दिनांक 18.05.2017, संख्या-26(आ), दिनांक 20.07.2017, संख्या-42(आ), दिनांक 20.09.2017, संख्या-43(आ), दिनांक 13.10.2017, संख्या-64(आ), दिनांक 08.01.2018 एवं संख्या-79(आ), दिनांक 21.02.2018 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं अन्य विषयशीर्षों में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/ वी.सी.ई. भागलपुर/मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया/दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा/लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा/ बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना)/राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, वेगुसराय/कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार/पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया/सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा/सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल को कुल रू. 2,62,00,000=00 (दो करोड़ बासठ लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. संबंधित महाविद्यालय (संस्थान) अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक- 428, दिनांक 31.03.2017 एवं पत्रांक-307, दिनांक 15.03.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

5. संस्थानों में प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पद के विरुद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. संस्थानों में शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. संस्थानों में रिक्त पदों पर संस्थानों द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों/ प्रयोगशाला सहायकों को उनके द्वारा सम्पादित

व्याख्यानों/प्रायोगिक/सात्रिक के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

8. विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-1593 दिनांक 11.07.2017 सहपठित प्रतिस्थानी आदेश दिनांक 06.10.2017 के आलोक में संस्थानों में अधिष्ठापित मशीनें, उपकरण, उपस्कर सहित पूरे परिसर की सुरक्षा, साफ-सफाई एवं बागवानी कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग द्वारा निजी एजेन्सी के माध्यम से रखे गए कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

9. यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

10. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषय शीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

11. स्वीकृतादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

12. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

13. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन

  
(अतुल सिन्हा)  
निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब<sup>3</sup>-12/2016-

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/

वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब<sup>3</sup>-12/2016-

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गुजफरपुर/भागलपुर/मोतिहारी/गया/

दरभंगा/ सारण (छपरा)/बाढ़ (पटना)/बेगुसराय/कटिहार/सहरसा/पूर्णिया/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।


ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब<sup>3</sup>-12/2016-

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग (लि.) कं., विद्युत भवन, बेली रोड, पटना /

उप निदेशक (यो.)/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

  
निदेशक



बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001-रनात्तक और रनात्तकोत्तर पाठ्यक्रम के अधीन विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों को वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु अतिरिक्त आवंटन की विवरणी:-

विपत्र कोड 43-2203001120001

(राशि रुपये में)

विषय शीर्ष	एन.आई.टी. युजफकरपुर	बी.सी.ई. भागलपुर	मोतिहारी अभि. महावि. मोतिहारी	गया अभि. महावि. गया	दरभंगा अभि. महावि. दरभंगा	लोकनाथक जयप्रकाश प्रौ. सं. छपरा	अभि. महावि. बखितपारपुर	रा. रामधारी सिंह दि. अभि. महावि. बेगुसराय	कटिहार अभि. महावि. कटिहार	सुप्रीम अभियंत्रण महाविद्यालय, सुप्रीम	राजसभा अभियंत्रण महाविद्यालय, राजसभा	सुप्रीम अभियंत्रण महाविद्यालय, सुप्रीम	आवृत्त कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0101 वेतन	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
1304 विद्युत प्रभार	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1401 किराया महसूल एवं कर	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
28 02 संविदा सेवाएं	3400000	3800000	4000000	500000	3000000	1200000	400000	1000000	750000	650000	650000	650000	5000000
<b>कुल योग</b>	<b>6900000</b>	<b>6300000</b>	<b>4000000</b>	<b>700000</b>	<b>3000000</b>	<b>1200000</b>	<b>400000</b>	<b>1000000</b>	<b>750000</b>	<b>650000</b>	<b>650000</b>	<b>650000</b>	<b>26200000</b>

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)

(ञ)

(ट)

(थ)

(द)

(क) उनहतर लाख रुपये मात्र।

(घ) सात लाख रुपये मात्र।

(छ) चार लाख रुपये मात्र।

(ज) छः लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(द) दो करोड़ बासठ लाख रुपये मात्र।

(ख) तीसठ लाख रुपये मात्र।

(ङ) तीस लाख रुपये मात्र।

(ज) दस लाख रुपये मात्र।

(त) छः लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(ग) चालीस लाख रुपये मात्र।

(च) बारह लाख रुपये मात्र।

(झ) सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।

(थ) छः लाख पचास हजार रुपये मात्र।

*A2*  
16.03.18  
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

*16/03/18*